सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 169 राँची, सोमवार, 20 अप्रैल, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

23 मार्च, 2026

संख्या-5/आरोप-1-30/2023 का.--35292 (HRMS)--श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-754/03) को विभागीय अधिसूचना सं0-6012, दिनांक 23.09.2021 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया है। परन्तु उनके द्वारा उक्त पद पर योगदान नहीं किया गया। इस संबंध में उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-154, दिनांक 26.05.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री कुमार, झा०प्र०से० के द्वारा अब तक अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किया गया है तथा योगदान नहीं किये जाने के कारण से संबंधित कोई सूचना कार्यालय को अप्राप्त है ।

2. अधिसूचित पद पर योगदान नहीं करने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-21637(HRMS), दिनांक 14.06.2024 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, द०छो० प्रमण्डल, राँची में निर्धारित किया गया। साथ ही अधिसूचित पद पर योगदान नहीं करने के संबंध में श्री कुमार के विरूद्ध विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया। उक्त गठित आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(क) विभागीय अधिसूचना संख्या-6012, दिनांक 23.09.2021 द्वारा श्री प्रभात कुमार को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया गया है। परन्तु श्री कुमार द्वारा उक्त पद पर योगदान समर्पित नहीं किया गया है। श्री कुमार का उक्त आचरण उनकी अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं सरकारी आदेश की अवहेलना है।

(ख) श्री कुमार का उक्त कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 के प्रतिकूल है।

3. श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर विभागीय पत्रांक-3632, दिनांक 26.06.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु उनके द्वारा निलंबन अवधि के लिए निर्धारित मुख्यालय में योगदान नहीं किये जाने के कारण उक्त पत्र विभाग में लौट गया। फलस्वरूप प्रेस विज्ञप्ति ज्ञापांक-5791, दिनांक 18.10.2024 निर्गत किया गया। परन्तु श्री कुमार द्वारा न तो निर्धारित मुख्यालय में योगदान दिया गया और न ही विभाग स्तर से गठित आरोप पत्र पर अपना स्पष्टीकरण ही दिया गया।

4. विभागीय पत्रांक-3795, दिनांक 04.06.2024 द्वारा श्री कुमार के स्थायी पते पर पत्र भेजकर उनसे स्पष्टीकरण समर्पित करने का अनुरोध किया गया। श्री कुमार द्वारा आवेदन दिनांक 25.09.2024 के माध्यम से निर्धारित मुख्यालय में दिनांक 25.09.2024 को योगदान करने की सूचना तथा स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

5. श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत श्री कुमार को निलंबन मुक्त करने एवं श्री कुमार के विरूद्ध निन्दन का दण्ड प्रस्तावित करते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा करने संबंधित प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-28680(HRMS), दिनांक 16.12.2024 द्वारा श्री कुमार को निलंबन से मुक्त किया गया तथा विभागीय पत्रांक-8109, दिनांक 16.12.2024 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रस्तावित निन्दन के दण्ड पर उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

6. उक्त के अनुपालन में श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया। श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा एवं मामले के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-30028(HRMS), दिनांक 17.04.2025 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया।

7. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय राज्यपाल के समक्ष अपील अभ्यावेदन दायर किया गया है, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-1451, दिनांक 27.05.2025 के माध्यम से विभाग को प्राप्त है। श्री कुमार द्वारा अपील अभ्यावेदन में समर्पित तथ्य निम्नवत् है-

(क) कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या-6012 दिनांक 23.09.2021 द्वारा इनकी पदस्थापना भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा के पद पर की गई थी।

(ख) जामताड़ा में पदस्थापन के पूर्व ये अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ के पद पर कार्यरत थे। उसी दौरान कोविड का संक्रमण काफी बढ़ा हुआ था। इनके माता-पिता काफी वृद्ध हैं तथा रांची में आवासित हैं। उस दौराण कोविड संक्रमण से वे दोनों भी ग्रसित थे।

पाकुड़ से राँची की दूरी काफी होने के कारण तथा उस काल में सभी सरकारी कर्मियों की छुट्टी स्थगित रहने के कारण, ये चाहकर भी अपने माता पिता के साथ व्यक्तिगत तौर पर चिकित्सीय इलाज हेतु उपस्थित नहीं हो सके थे। उचित इलाज के अभाव में वे दोनों काफी कमजोर हो गए थे। इनके पाकुड़ पदस्थापन के दौरान जो करीबन तीन वर्ष की थी, उनके अस्वस्थता के समय इनकी शारीरिक एवं मानसिक अनुपस्थिति से वे अत्यन्त कमजोर होते चले गये थे। इस दौरान दोनों के शारीरिक अस्वस्थता के कारण बहुत से अन्य complications होते चले गए थे। चूंकि इनके अलावा माता पिता के देखभाल हेतु कोई अन्य सदस्य नहीं है, इसलिए उनके बेहतर इलाज हेतु, उनके साथ शारीरिक तथा मानसिक रूप से उपस्थित रहना अत्यन्त आवश्यक था।

(ग) विभिन्न complications के इलाज हेतु स्थानीय एवं राज्य के बाहर भी ले जाना इनकी जरूरत थी। लम्बी अवधि की अस्वस्थता एवं इलाजरत रहने के कारण ये भी उनके साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान थे, इसलिए ये चाहकर भी विभाग के आदेश का पालन नहीं कर सके।

(घ) जामताड़ा में योगदान से सम्बन्धित अपनी मजबूरी की सूचना इन्होंने ससमय सामान्य डाक द्वारा विभाग को भी दिया था, परन्तु डाक विभाग की पावती की छायाप्रति misplace हो जाने के कारण अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं।

(ङ) उक्त उल्लेखित घटनाक्रम चूँकि इनकी control के beyond थी, इन्होंने वही किया जो एक पुत्र अपने माता पिता के लिए बेहतर से बेहतर कर सकता था।

(च) पूर्व से ही इन्होंने सरकार के द्वारा आवंटित कार्यों का पूरे तन और मन से पूरी कर्तव्यनिष्ठा से निर्वहन करते आ रहे हैं। अब तक के अपने सेवाकाल के दौरान कभी किसी की शिकायत का मौका नहीं दिये हैं। भविष्य में ऐसी पुनरावृति नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखेंगे। लम्बी अवधि तक कार्य के अनुपस्थित रहने के कारण वे आर्थिक परेशानी से भी जूझ रहे हैं।

(छ) वर्तमान में सरकार द्वारा निन्दन का दण्ड अधिरोपित किये जाने के फलस्वरूप इनकी सेवा में प्रोन्नति (promotion) भी बाधित हो जाएगी, जिसका असर इनकी मानसिक स्वास्थ्य पर भी होगा।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री कुमार द्वारा अधिरोपित निन्दन का दण्ड से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

8. श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अपील अभ्यावेदन में पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण एवं द्वितीय कारण पृच्छा से इतर कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा अपने माता पिता के अस्वस्थता एवं ईलाजरत रहने का उल्लेख किया गया है, जो कि उनके द्वारा पूर्व में ही समर्पित किया गया है, जिस पर विचार करते हुए निन्दन का दण्ड अधिरोपित की गई है। श्री कुमार द्वारा निलंबन के उपरांत निर्धारित मुख्यालय में भी ससमय योगदान नहीं करने के संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री कुमार के द्वारा न तो उपायुक्त, जामताड़ा और न ही विभाग को योगदान से सम्बन्धित सूचना के संबंध में कोई साक्ष्य संलग्न किया गया है।

9. अतः समीक्षोपरांत, श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-754/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा द्वारा के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-30028(HRMS), दिनांक-17.04.2025 द्वारा झारखण्ड

सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(i) के तहत अधिरोपित दण्ड "निन्दन" को यथावत् रखने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। तत्पश्चात् उक्त प्रस्ताव को दिनांक 12.03.2026 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृत किया गया है।

अतः श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-754/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-30028(HRMS), दिनांक- 17.04.2025 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(i) के तहत अधिरोपित दण्ड "निन्दन" को यथावत् रखा जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-754/03) एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	PRABHAT KUMAR JHK/JAS/103	श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-754/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-30028(HRMS), दिनांक- 17.04.2025 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(i) के तहत अधिरोपित दण्ड "निन्दन" को यथावत् रखा जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:20060400057

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 169 - 50